/70418/2024

कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईपासरोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून , पुलिया नं0–6 के समीप)

Email:- Stampregndptuk@yahoo.co.in

पत्रांक : 1750 / म0नि0नि0 / 2023–24 दिनांक : 19 मार्च, 2024

सेवा में,

1. समस्त अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) /
   जिला निबंधक उत्तराखण्ड।
2. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।

विषयः– **उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2023 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण क्षेत्र) के अंतर्गत आच्छादित उद्योग स्थापित करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखंड शासन की अधिसूचना / आदेश संख्या 199665 / 2024 / XXVII(9) / स्टाम्प–80 / 2009 दिनांक 16 मार्च 2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2023 के सम्बन्ध में कतिपय निर्णय लिये गये हैं।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धितो को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोक्त।

Signed by Atul Kumar Sharma
Date: 19-03-2024 17:19:41

भवदीय

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं संख्या उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव (वित्त अनुभाग–9), उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त उपनिबंधक, उत्तराखण्ड।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड,देहरादून।

I/199665/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0पत्रा0 सं0–22939
संख्या 199665 /2024/XXVII(9)/स्टाम्प–80/2009
देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च, 2024

अधिसूचना/आदेश

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (समय–समय पर यथासंशोधित) सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, (केन्दीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्यक विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के कम में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं;–कि,

"उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023" के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग (विनिमार्ण क्षेत्र) के अन्तर्गत आच्छादित उद्योग स्थापित करने के लिये, ऐसे मामलों में जिनमें उद्यमियों/विधिक व्यक्ति द्वारा एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) पर आवेदन किया गया है, भूमि क्रय किये जाने पर क्षेत्र विशेष की निर्धारित अकृषि दर की 50 प्रतिशत दरें, प्रभावी होंगी;

परन्तु ऐसे विलेखों के माध्यम से अन्तरित भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित कृषि दर के अनुसार आंकलित मूल्यांकन से 50 प्रतिशत से न्यून/अधिक नहीं होगा।

अग्रेत्तर यह कि जिन क्षेत्रों में अकृषि भूमि की 50 प्रतिशत दरें, उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि हेतु निर्धारित दरों से न्यून होंगी, तो ऐसे प्रकरणों में कृषि भूमि हेतु निर्धारित सामान्य दर से 50 प्रतिशत अधिक दरें प्रवृत्त होंगी, परन्तु किसी भी दशा में अकृषि दरों से अधिक नहीं होगी।"

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 16-03-2024 10:33:33

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– 199665 (1)/XXVII(9)/2024/स्टाम्प–80/2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ ।
4. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन ।

I/199665/2024

5. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून ।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून ।
7. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप-निदेशक राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित करते हुये उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग-09 में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 16-03-2024 10:36:06

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।